<u>आर टी आई मामला</u>
<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

फा. सं. 18012/01/2014-के-।
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 6 अगस्त, 2014

<u>आदेश</u>

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपील।

अपीलकर्ता ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 06.06.2014 के पत्र के विरुद्ध दिनांक 09.05.2014 की एक अपील प्रस्तुत किया है जो इस कार्यालय में दिनांक 21.07.2014 को प्राप्त हुआ। अपीलकर्ता इस बात से असंतुष्ट है कि उन्हें ना तो स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर दिया गया है और ना ही कोई उचित समाधान बताया गया है।

2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत यथापरिभाषित सूचना आवेदक को मुहैया करवाए जाने का प्रावधान है जिसमें यह उल्लेख है कि *"सूचना" से किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।"*

अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि संबंधित सूचना अधिकारी, आर टी आई याचिकाकर्ताओं के उन प्रश्नों का उत्तर दे, जो अभिलेखों में मौजूद नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में इस सूचना की मांग करके किया है कि अनुच्छेद 370 कब तक जम्मू एवं कश्मीर में लागू रहेगा। जहां तक अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी उनके अन्य प्रश्नों का संबंध है, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पहले ही उन्हें भारतीय संविधान के संगत उद्धरण मुहैया करवा दिए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित दिशानिर्देशों में यह उल्लेख है कि लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह सूचना सृजित करे अथवा उसकी व्याख्या करे; अथवा आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करे या प्रश्नों का उत्तर दे। उससे यह अपेक्षित है कि वह सामग्री को उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकारी के पास मौजूद है, परंतु किसी नागरिक की ओर से कोई शोध न करे।

3. चूंकि उपर्युक्त टिप्पणियों के अनुसरण में अपील कार्रवाई योग्य नहीं है, अतः इसका तदनुसार निपटान किया जाता है।

(आर. के. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (जम्मू एवं कश्मीर) एवं
अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्री आनंद कमल
अधिवक्ता
स्टेशन रोड, सुल्तानगंज,
जिला भागलपुर 813213,
<u>बिहार</u>

प्रतिलिपि: आई टी० अनुभाग, गृह मंत्रालय - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु